IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"भारत में महिला मानवाधिकार (उ0 प्र0) पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले के सन्दर्भ में" एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

शोध निर्देशक
डॉ0 रामानन्द सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग

शोधार्थी
चन्द्रेश चक्रवर्ती
एम0 ए0 समाजशास्त्र

श्री दुर्गाजी पी0जी0 कालेज
चण्डेश्वर आजमगढ़ उ0 प्र0

शोध सारांश :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन क्षेत्र आजमगढ़ जनपद (उ0 प्र0) के पूर्वांचल क्षेत्र में महिला मानवाधिकार के सन्दर्भ में अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। शोधार्थी के द्वारा महिला मानवाधिकार मानव के एक ऐसे अधिकार है जो प्रत्येक मनुष्य को जन्मतः मिले है। ये मनुष्य के प्रकृति में निहित है और किसी रीति–रिवाज, परम्परा, रूढ़ि, कानून, राज्य शासक संसद या किसी अन्य संस्था की देन नहीं है। मानवाधिकार पहले है और राज्य या कानून जैसे चीजें बाद में हैं ताकि प्रत्येक मनुष्य लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर सके, गरिमामय जीवन जी सके, अपना विकास कर सके और राज्य का सत्यनिष्ठ नागरिक बन सके। मानवाधिकारों में अन्य अधिकारों के साथ–साथ जीवन, स्वतन्त्रता और सुख साधना का अधिकार भी समाहित है। भारत में मानवाधिकारों की प्राप्ति का प्रश्न हैं । भारत में महिला समाज को कहॉ तक अधिकार प्राप्त हो पाया है। भारत में महिला सशक्तिकरण का राग जो अलापा जा रहा है उसे महिला के सामाजिक ,आर्थिक ,राजनीतिक, शैक्षणिक के माध्यम से महिला मानवाधिकारों के द्वारा नये राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। महिलाओं पर किये जाने वाले अपराध जैसे– मारना–पीटना, बलात्कार, अपहरण, दहेज–हत्या, घरेलू–हिंसा एवं उत्पीड़न ,छेड़–छाड़ तथा अन्य सम्बन्धित अपराध महिलाओं के मानवाधिकार का अतिक्रमण करते है क्योंकि ऐसे अपराध उन्हें जीवन के सुरक्षित समाज में उनके मौलिक मान–सम्मान से वंचित करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के आजमगढ़ जनपद में समस्याओं का मानवाधिकार के सापेक्ष अध्ययन करके भारत में नारी के प्राचीन स्वरूप के अध्ययन से ज्ञात होता है कि महिलाओं की स्थिति बड़ी उच्च और गौरवमयी थी। शोधार्थी के द्वारा महिलाओं के मानवाधिकार के सम्बन्ध में शिक्षा,स्वास्थ्य ,सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक विचारों का महिला समाज पर पड़ने वाले प्रभाव तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार के सुझावों का मूल्यांकन कर समीक्षा की जायेगी और महिला समाज में उन्नति एवं गौरव राष्ट्र की भूमिका साबित होगी।

मानव अधिकार की पृष्ठभूमिः–

संसार में ईश्वर की अनुपम कृति मानव है। मानव की उत्पत्ति का इतिहास अति प्राचीन है। इसका विकास विभिन्न चरणों में हुआ। मानव के विकास के साथ ही उसे अधिकारो की आवश्यकता महसूस हुई। इस आवश्यकता को ही मानव अधिकार कहा जाता है। मानव को अपनी गरिमा बनाये रखने के लिए मानवाधिकारों की आवश्यकता होती है। मानव के जीवन की कल्पना अधिकारों के बिना नहीं की जा सकती है। वस्तुतः किसी व्यक्ति के मानव होने और मानव बने रहने के लिए अधिकार अनिवार्य है। मानवाधिकारों को स्वीकार करने से मानव सभ्यता का विकास सम्भव हुआ है। मानवाधिकारों की संकल्पना उतनी ही पुरानी है जितनी प्राकृतिक विधि है। प्रकृति पर निवास करने वाले सभी जीव स्वतन्त्रता की इच्छा रखते है। मानव को अपने सर्वांगीण विकास व अस्तित्व की रक्षा की स्वतन्त्रता की आवश्यकता होती है ,जिसका दूसरा रूप अधिकार है। मानव के आपसी अधिकार के हनन को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर 1948 को सभी के लिए उपलब्ध का समान स्तर निर्धारण करने वाला मानवाधिकार की वैश्विक घोषण को पारित किया है । इसी कारण 10 दिसम्बर को सम्पूर्ण विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार आयोग U.N.C.H.R. की घोषणा पत्र में अनुच्छेद 30 है । इसमें मानव समाज के गरिमामय जीवन के सभी बिन्दुओं का समावेश किया गया है, लेकिन यू0 एन0 ओ0 ने 10 दिसम्बर 1990 को मानव अधिकारों के प्रशासन को सार्वभौमिक के लिए प्रत्येक नागरिक मानवाधिकारों का सम्मान करें, अधिकारों राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति के सहयोग करें।

महिला मानवाधिकार का विकासः–

महिला मानवाधिकार का विकास महिला में नारी की ममता, माधुर्य एवं महानता का उद्भव संगम देखा जाता है। वह प्रत्येक अग्नि की परीक्षा को पार करती हुई समाज की समस्याओं का सामना कर उनका समाधान करती रहती है। हृदय में वेदना की ज्वाला छिपाए हुए होठों पर मधुर मुस्कान के लिए पुरूषों के साथ कन्धा मिलाकर चलने का प्रयत्न करती है। पुरूषों के समान सदियों से मानवाधिकार से वंचित रहती है। इसी कारण गॉधी ने महिला को अहिंसा का अवतार माना है। अति प्राचीन समय में महिला को समान अधिकार प्राप्त था लेकिन मध्यकाल में महिला अपने अधिकार वांछित रही है। वर्तमान समय विश्व मानवाधिकार के द्वारा सभी महिलाओं को समान मानवाधिकार प्राप्त हुआ है। जहॉ नारियों की पूजा की जाती है वहॉ देवताओं का निवास होता है। आधुनिक समय मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतन्त्रता का अधिकार समान रूप से सभी वर्गों के महिला एवं पुरूष को प्राप्त हुआ है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत महिला मानवाधिकारों को विशेष रूप से देखा जा सकता है, जिससे संविधान की प्रस्तावना में महिला मानवाधिकार निहित है, जिसके अनुसार संविधान राष्ट्र का मूलभूत सिद्धान्त है। 42 वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि '' हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी ,धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार , अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित करने वाले बन्धुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवम्बर 1949 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल) सप्तमी सम्वत् 2006 (विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते है''

महिलाओं के मानवाधिकार को समुचित सम्मान दिखाने के लिए अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आन्दोलन की शुरूआत की है, जिसमें सेवा मन्दिर, प्रगतिशील महिला संगठन, अस्मिता आदि जुड़े है।

- स्त्री विमर्श पत्रिका–सबला ,मनुषी, सहेली, उत्तरा आदि जैसे सामाजिक पत्रिकाओं का प्रकाशन नारी चेतना का विकास किया है।
- दहेज निरोधक अधिनियम
- बाल विरोधी अधिनियम
- घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005

- कार्यस्थल पर उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013
- बलात्कार रोकथाम अधिनियम 2013

शोधार्थी के द्वारा अपने अध्ययन क्षेत्र उ0 प्र0 राज्य पूर्वाचल के जनपद आजमगढ़ में महिला मानवाधिकार के सन्दर्भ में महिलाओं के अधिकार को महिला जागरूकता चेतना शिक्षा का प्रचार–प्रसार के द्वारा सामाजिक , आर्थिक, मनोवैज्ञानिक , धार्मिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, तकनीकी–कौशल के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका का आवाहन करके समाज में महिला मानवाधिकार के अन्तर्गत विशेषकर पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्गो की महिला मानवाधिकार को राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार और संविधान अधिनियम के द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक , राजनीतिक क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के पहलुओं का अध्ययन किया गया है।

उ0 प्र0 राज्य के आजमगढ़ जनपद में महिलाओं की सामाजिक स्थिति :–

अध्ययन क्षेत्र में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का आकलन महिलाओं के स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक कार्यो में उन्नतिशील विकास से लगाया जाता है। अच्छा स्वास्थ्य एक ऐसी व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभूति है जिससे महिला अपने आप को सक्रिय सृजनशील समझदार तथा योग्य महसूस करती है, जिसमें उसके शरीर के जख्मों को भरने की क्षमता बरकरार रहती है, जिसमे उनकी विभिन्न क्षमताएँ व योग्यताओं को सम्मान मिलता है। जिसमे चयन करने का अधिकार रखती है। जब एक महिला स्वास्थ्य होती है तो प्रसन्न रहती है । वह अपने आप राष्ट्र समाज के लिए सक्रिय सृजनशील समझदार तथा योग्यता के द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा करती है और महिला मानवाधिकार के प्राप्ति समाज को आगे की ओर ले जाती है।अध्ययन जनपद आजमगढ़ में महिलाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी शिक्षा एवं स्वास्थ्य के माध्यम से विभिन्न विकासखण्डों में अनुमान लगाया जा सकता है कि महिला मानवाधिकार का अध्ययन की वर्तमान प्रस्थिति क्या है? महिला के स्वास्थ्य पर न केवल उसके शरीर की संरचना का बल्कि उसके इर्द–गिर्द के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पर्यावरणों का तथा राजनीतिक परिस्थितियों का उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

भारतीय महिला मानवाधिकार का अध्ययन क्षेत्र आजमगढ़ की कुल जनसंख्या 4612134 है जिसमें महिलाओं की संख्या 2317977 है तथा साक्षरता 60.89 प्रतिशत है । महिलाओं की जनवृद्धि 16.3 प्रतिशत तथा लिंगानुपात 1000/1019 महिलाएँ है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र महिलाओं की संख्या पुरूषों की संख्या से अधिक है। महिला द्वारा प्राथमिक क्रियाओं में 87 प्रतिशत कार्यरत है। 13 प्रतिशत स्वरोजगारी प्राप्त किया है । महिला मानवाधिकार के द्वारा सभी वर्गों की महिलाओं को उनके अधिकार एवं सम्मान के लिए भारतीय महिला मानवाधिकार की जनजागरूकता 1993 , 25 जून लागू है।

आजमगढ़ जनपद में(महिलाओं की जनसंख्या एवं साक्षरता) की सामाजिक स्थिति उ0 प्र0 पूर्वांचल

क0 सं0	विकासखण्ड का नाम	साक्षर महिलाओं की जनसंख्या (2011)	साक्षरता महिलाओं की जनसंख्या (प्रतिशत में)	कुल महिलाओं की संख्या
1	अतरौलिया	34647	60.69	65635
2	कोयलसा	47416	58.68	93453
3	अहिरौला	51635	58.50	103035
4	महाराजगंज	43457	53.80	94502
5	हरैया	49207	57.66	100556
6	बिलरियागंज	66369	61.82	126460
7	अजमतगढ़	57598	61.44	109134
8	तहबरपुर	45238	57.65	91417
9	मिर्जापुर	58173	65.36	105607
10	मोहम्मदपुर	52771	63.93	97788
11	रानी की सराय	47283	60.54	91953
12	पल्हनी	53508	62.70	99599
13	सठियॉव	50221	58.12	101859
14	जहानागंज	41829	58.66	83600
15	पवई	56027	61.19	106960
16	फूलपुर	54801	61.10	105715
17	मार्टिनगंज	50381	58.34	101204
18	ठेकमा	52416	59.05	103317
19	लालगंज	55024	61.20	104693
20	मेंहनगर	46665	57.54	94806
21	तरवॉ	49674	59.31	97604
22	पल्हना	29512	59.05	57976
	ग्रामीण	1093852	59.92	2136873
	नगरीय	117817	71.74	191104
	कुल योग	1211669	60.89	2327977

स्रोतः– जिला सांख्यिकीय पत्रिका आजमगढ़ 2017–18

भारतीय महिलाओं के सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए महिलाओं में साक्षरता एवं जनसंख्या के आधार पर विभिन्न विकासखण्डों में उनके सामाजिक स्थिति की जैसे 60 प्रतिशत से अधिक साक्षर महिलाओं की स्थिति अनुकूल मानी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय में 30 प्रतिशत महिलाओं की साक्षरता होनी अति आवश्यक है।शोधार्थी के अध्ययन क्षेत्र में भारतीय महिलाओं की मानवाधिकार की सही जानकारी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक क्रिया, के उन्नतिशील जीवन यापन के रूप में माना जाता है । महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धी अनुमान विभिन्न प्रखण्डों में जहॉ साक्षरता 60 प्रतिशत जैसे मिर्जापुर 65.36 प्रतिशत, बिलरियागंज 61.82 प्रतिशत, अजमतगढ़ 61.18 प्रतिशत,मोहम्मदपुर 63.93 प्रतिशत55, पल्हनी में 62.70 प्रतिशत, पवई 61.19 प्रतिशत, फूलपुर 61.10 प्रतिशत, ठेकमा 61.20 प्रतिशत, साक्षरता है तथा महाराजगंज53.80 प्रति0,मेंहनगर 57.54 प्रति0, तहबरपुर 57.65 प्रति0, हरैया 57.80 प्रति0, न्यूनतम महिला साक्षरता के विकासखण्ड है। विभिन्न विकासखण्डों मे जनसंख्या उच्चतम जमाव विलरियागंज, पवई, फूलपुर, अजमतगढ़, जहानागंज, विकासखण्डों में महिला जनसंख्या अधिक है तथा पल्हना, अतरौलिया, विकासखण्डों में महिलाओं की जनसंख्या पुरूषो की अपेक्षा कम है। वैश्विकरण एक जटिल अवधारणा है। यह उदारीकरण एवं निजीकरण से सम्बन्धित है।समय और दूरी के साथ राज्य और राष्ट्र से आगे संकुचन उत्पन्न करती है। इसके अन्तर्गत आर्थिक , सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों के माध्यम से विश्व में महिला मानवाधिकार के अन्तर्गत महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक ,

आर्थिक, एवं सांस्कृतिक क्रियाओं के तकनीकी , मनोवैज्ञानिक, कल्याणकारी कार्यों में तीव्र गति से अपने अधिकार के प्रति जागरूक होकर भूमिका निभाती है। शोधार्थी महिला मानवाधिकार का भारतीय परम्परागत समाज का आधुनिकीकरण के माध्यम से परिवर्तन कर रहा है और सभ्य समाज का निर्माण करती है।

भारतीय महिला मानवाधिकार के प्रति केन्द्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका :–

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में असंदिग्ध रूप से यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए आत्मोन्नयन के साथ राष्ट्रोन्नयन को मूर्त रूप प्रदान किया है। महिलाओं ने मानवाधिकारों का उपयोग करके तो नारियों में भी दैवी शक्ति हैं । सामाजिक , आर्थिक, राजनीतिक , एवं प्रशासनिक आदि समस्त क्षेत्रों में अपनी कार्य कुशलता का परिचय देकर महिलाओं ने सफलता के नये आयाम स्थापित किए हैं। आज हम खेत–खलिहान से संसद तक महिलाओं की सहभागिता चिर पुरातन काल से महिलाओं ने अपनी प्रखर बौद्धिकता, मेद्या एवं करूण , प्रेम जैसे नारी सुलभ गुणों के द्वारा न केवल परिवार प्रत्युत समा को एक सूत्र में पिरोये रखा है।

महिला सशक्तिकरणः–

महिला सशक्तिकरण के दो महत्वपूर्ण आधा शिक्षा और आर्थिक स्वतन्त्रता हैं । इसक द्वारा महिलाआके का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण संभव है। भूमण्डलीय और उदारीकरण के प्रारम्भ होने के बाद से तीव्र गति से विकास हुआ। न्यायालय के निर्देशों और सरकार के द्वारा बनाये गये विभिन्न कानूनों की मदद से महिलाओं को कार्य करने का उचित और सुरक्षित वातावरण तैयार किया जा रहा है। जैसे–जैसे शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है वैसे– वैसे उनके भीतर नयी चेतना एवं जागरूकता उत्पन्न हो रही है। भारतीय समाज मे पहले साधारण श्रम विभाजन था और महिलायें घर के अन्दर , पुरूष घर के बाहर कार्य करते थे। भूमण्डलीकरण के द्वारा महिलाओं की सहभागिता दिन–प्रतिदिन आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक स्तर पर सशक्तिकरण होने से धीरे–धीरे बदलाव आया है। भूमण्डलीय के उत्पादन, आविष्कार एवं संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास योजना के आधार पर महिलाओं को अत्याधुनिक तकनीक, इण्टरनेट ,जेट के द्वारा महिला सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत महिलाओ के हित मे राष्ट्रीय स्तर , जनपद स्तरीय, विकासखण्ड ,गॉव स्तर , विभिन्न कौशल तकनीक योजना के माध्यम से बेटी बचाओं–बेटी पढ़ाओ तथा कौशल तकनीक का प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार को बढ़ावा मिला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (3) तथा (15 ए) में उनके मूल अधिकारों की समानता प्रदान की गयी है, जिससे महिलाओं के विवाह, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार आदि के संरक्षण के अधिनियम 2005 को लागू किया गया है। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करके विकसित रोजगारपरक शिक्षा को समाज में स्थान प्राप्त होना चाहिए जिससे समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी विकसित हो सके।

एक प्राचीन कहावत है कि प्रत्येक व्यक्ति की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला का योगदान होता है। साथ ही साथ कथन है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति में उस राष्ट्र की महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिवार एवं समाज की केन्द्र नारी होती है । शीलवती महिलाएं ही परिवार को आदर्शमुखी बनाकर समाज एवं राष्ट्र का उत्थान करती हैं। महिलाओं पर अत्याचारों पर पूर्वत रोक , उनका शैक्षिक उन्नयन ऐसी स्थितियां निर्मित करती है , जिससे महिलाओं के समाज का विकास सदा होता रहा है। इस प्रकार केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा भारतीय महिला मानवाधिकार के निम्न कदम उठाए है जो निम्न हैं –

1–भारतीय महिलाओं को केन्द्र सरकार के द्वारा 1 से 8 तक शिक्षा विमुक्त प्रदान की जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा सभी मानव समाज का विकास सम्भव हो सके।

2–महिलाओं के मानवाधिकार स्वास्थ्यद्व शिक्षा, सामाजिक क्रियाओं तथा तकनीक मनोवैज्ञानिक कुशलताएं प्रदान की जाए।

3–प्रौद्योगिक समाज में महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिये जाये और प्रचार–प्रसार किये जाये।

4–प्रधानमंत्री कौशल विकास विशन के अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक उच्च शिक्षा में कौशल स्किल योजना के द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान किया जाये।

5–भारतीय महिलाओं के विकास के केन्द्र सरकार के वित्तीय सहायता की धन से ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर महिलाओं के प्रशिक्षण कौशल तकनीक का प्रचार–प्रसार के विभिन्न प्रखण्डों में महिला विकास योजना को प्रात्साहन किया जायें।

6–भारतीय महिलाओं के मानवाधिकार के महिला चेतना, जनजागरूकता, महिला कल्याण योजना तथा महिला समृद्ध योजना का लाभ दिया जाये।

7–महिलाओं के विकास केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार प्रस्तावित बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओं, सुकन्या सहयोग, स्किल कौशल प्रशिक्षण मिशन योजना ह ै।

8–भारतीय महिलाओं के मानवाधिकार ,महिला सुरक्षा, अपराध निवारक कानून, बाल अपराध, दहेज निवारक अधिनियम, बलात्कार रोक अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम आदि के द्वारा महिलाओं की जा सकती है।

9–भारतीय महिलायें जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति के उत्थान के लिए भारत सरकार अनेक कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

10–राज्य सरकार के द्वारा उ0 प्र0 के पूर्वांचल क्षेत्र के आजमगढ़ जनपद में महिलाओं के विकास , प्राथमिक कार्य ,उच्च प्राथमिक कार्य तक महिलाओं की आरक्षण की आवश्यकता होती है।

11–भारतीय महिला मानवाधिकार के द्वारा महिला वर्गो के उत्थान के शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्रिया, प्रोद्योगिक ज्ञान, स्वरोजगार, मनोरंजन के साधन और सर्वांगीण विकास की आवश्यकता होती है।

12–भारतीय संस्कति में कहा जाता है कि जिस राष्ट्र में महिलाओ की पूजा होती है वह राष्ट्र विकसित देशों में समृद्ध बनता है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कर सम्पूर्ण मानव समाज का विकास किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1–मिश्रा सरस्वती–भारतीय स्त्रियों की प्रस्थिति, शारदा पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली संस्करण 1991

2–उ0प्र0 गजेटियर 2010 उ0प्र0 सरकार लखनऊ

3–सिंह आर0 मानवाधिकार एवं महिलाएं प्वाइंटर पब्लिशर्स जयपुर (संस्करण) 2008

4–शर्मा पी0–महिला लैंगिक असमानता एवं अपराध प्वांइण्टर पब्लिशर्स जयपुर सं0 2006

5–यादव सन्तोष–उन्नीसवी और बीसवी शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति कामनवेल्थ पब्लिशर्स दरियागंज नई दिल्ली 1987

6–जिला सांख्यिकी पत्रिका आजमगढ़ 2015–18

7–आर्य साधना–नारीवादी राजनीतिःसंघर्ष एवं मुद्दे हिन्दी माध्यम दिल्ली विश्वविद्यालय 2001

8–कृष्णा राज–वुमेन एण्ड डवलेपमेंट सुभद सुरावत प्रकाशन पूना संस्करण 1988

9–समाचार पत्र–पत्रिका योजना कुरूक्षेत्र लेख आदि

10–जिला महिला स्वास्थ्य चिकित्सालय आजमगढ़ 2015–17

11–मिश्र उर्मिला प्रकाशन–प्राचीन भारत में नारी :मध्य प्रदेश अकादमी भोपाल 1987

12–भारतीय संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 42 वें संशोधन